निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.7(4) अकाद/निकाशि/परीक्षा/2008/107 दिनांक 18 मई, 2012

समस्त प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय/राजकीय महिला महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः शारीरिक शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष को शैक्षणिक स्टाफ के समतुल्य माने जाने के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि शारीरिक शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों की विश्वविद्यालय परीक्षा में ड्यूटी लगाने एवं महाविद्यालय के अन्य कार्यों में लगाये जाने के संदर्भ में उनकी वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि यू.जी.सी. के रेगुलेशन में इन्हें शैक्षणिक स्टाफ के समकक्ष माना गया है। इसी क्रम में निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांकः 86 दिनांक 09.04.2008 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांकः 38 दिनांक 17.03.2009 के द्वारा पूर्व में आपको निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ प्राचार्यों द्वारा इन आदेशों की अवहेलना कर शारीरिक शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों के साथ महाविद्यालय स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है।

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुये इस कार्यालय को सूचित करें एवं आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित प्राचार्यों के विरूद्ध 16 सी.सी.ए. के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(सुबीर कुमार)
निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांक:एफ.7(4) अकाद/निकाशि/परीक्षा/2008/108 दिनांक 18 मई, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः –

श्री धीरेन्द्र देवर्षि, नोडल अधिकारी वेबसाईट– कृपया इस परिपत्र को निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करे।

निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा